12.6.24

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित हुए। नहीं हुए प्रकरण में लम्बे समय से तामिल शेष है। प्रार्थी अधि. को तामिल हेतु पूर्व में भी अंतिम अवसर दिया जा चुका है बावजूद सम्मन पेश नहीं किए गए है तथा नहीं स्वयं उपस्थित हुए। न्यायालय द्वारा कई-कई बार आवाज लगवाई गई, बावजूद इसके कोई उपस्थित नहीं होने से यह जाहिर है कि प्रार्थी अपने प्रा.पत्र के प्रति गंभीर नहीं तथा आगे चलाना नहीं चाहते है।

अतः प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम हाजरी- अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय सेरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(रियाज बी)
IAS